न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/5027/धौलपुर

1– विजेन्द्र सिंह) पुत्रान श्री रामसरन
2– हरीसिंह)
3– मु. फूलवती बेवा रामसरन
4– सुगरसिंह पुत्र मिठठनलाल
सभी जाति ठाकुर निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– मु. रामपती बेवा रामस्वरूप
2– मुरारी) पुत्रान श्री रामस्वरूप
3– कल्ला)
सभी जाति कोली निवासी किलेदार का पुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाड़ी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोन्डेन्ट

खण्ड–पीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलान्ट्स
रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही,

दिनांक : 12–2–2020

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–8–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट/वादीगण ने प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी के न्यायालय में एक राजस्व वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई द्वामी के तहत विवादित भूमि खसरा नम्बर–579 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर–586 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के बाबत पेश किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–2003 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–8–2005 द्वारा खारिज कर दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–8–2005 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– रेस्पोन्डेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस बुलवाया गया। नोटिस तामील होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि का अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व खातेदार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के विवादित भूमि को रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर निर्णय पारित करने में भूल की है। उनका यह भी कथन है कि इस प्रकरण में धारा–42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह धारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा

सवर्ण जाति के व्यक्ति को भूमि बेचान करने पर लगती है, लेकिन प्रस्तुत मामले में उक्त बिन्दू ही विद्यमान नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–8–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–2003 निरस्त किया जाये एवं वादी अपीलान्ट का वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2019 में आराजी खसरा नम्बर–579 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर गजोले पुत्र मोहनलाल व बेदरिया पुत्र भागीरथ व राजाराम पुत्र केवला कौम ब्राहमण हिस्सा 3/4 व लल्लू पुत्र मकटू हिस्सा 1/4 कौम मैना साकिन देह खातेदार दर्ज है। इसमें संवत 2018 में रामसरन वल्द देवीसिंह दर्ज है यद्यपि इसमें **''काश्त''** नहीं लिखा है परन्तु इस अंकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर काश्त रामसरन पुत्र देवीसिंह की थी। खसरा गिरदावरी संवत 2020 में काश्त रामसरन वल्द देवीसिंह ठाकुर की दर्शाई है। प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर–586 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा बने हैं जबकि 3 बीघा 5 बिस्वा ही बनने चाहिये थे। इससे यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के 3/4 हिस्से का ही यह खसरा नम्बर बनाया गया है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2022 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–586 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा पर रामस्वरूप वल्द धूंधे कौम कोली साकिन चिलाचोद अंकित है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2055–59 के अनुसार खसरा नम्बर–586 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा पर मु. रामपती बेवा रामस्वरूप,

मुरारी व कल्ला पिसरान रामस्वरूप नाबालिग सरपरस्ती माता रामपति बेवा रामस्वरूप कौम कोली साकिन चिलाचोद खातेदार दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज हैं तथा उनके पूर्वज रामस्वरूप की खातेदारी में उक्त आराजी संवत 2022 से दर्ज थी। प्रतिवादीगण की खातेदारी में उक्त भूमि विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से चली आ रही है। प्रतिवादीगण कोली जाति के हैं जो **''अनुसूचित जाति''** में आते हैं। वादीगण सवर्ण जाति के हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम नहीं है। केवल संवत 2018 से 2020 तक काश्त के रूप में उनका नाम दर्ज है। संवत 2020 के पश्चात काश्त करने का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण/वादीगण ने ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका कब्जा विवादित भूमि पर संवत 2012 से आदिनांक तक लगातार विधिमान्य तरीके से चला आ रहा हो। जो राजीनामा प्रस्तुत किया है वह रिकार्ड एवं विधि के विपरीत प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अपीलार्थीगण / वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(बी) का उल्लंघन होता है। इस कारण विचारण न्यायालय ने वाद खारिज करके विधिसम्मत निर्णय प्रदान किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपील निरस्त करके सही व विधि के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित किया है।

8– हस्तगत अपील के अन्तर्गत अपीलार्थीगण ने ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे यह अपील स्वीकार कर डिक्री की जा सके। अतः अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य